पूर्वावलोकन

विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोग के एकल पीठ की शिविर बैठक

(27 जनवरी से 29 जनवरी 2015)

आयोग का गठन देश में मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम) के तहत अधिदेशित किया गया था। अधिनियम की धारा 12 के तहत इसको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन एवं संपूर्ण करने के प्रयास में आयोग देश के विभिन्न भागों में खुली सुनवाइयों, पूर्ण आयोग की शिविर बैठकों तथा एकल पीठ की शिविर बैठकों का आयोजन करता आ रहा है। इन सुनवाइयों के दौरान आयोग पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों तथा उनके द्वारा सरकारी अभिकरणों एवं लोक प्राधिकारियों से न्याय पाने में हो रही समस्याओं को सुनने के साथ–साथ मानव अधिकारों के प्रवर्त्तन एवं मानव अधिकारों के हनन के उन्मूलन हेतु बेहतर समझ एवं पहुंच के लिए कार्यरत् गैर–सरकारी संगठनों/मानव अधिकारों निकायों/नागरिक समाज के साथ बैठकें भी आयोजित करता है।

इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने **27 से 29 जनवरी, 2015 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश** में आयोग की एकल पीठ की शिविर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के **माननीय सदस्य श्री एस. सी. सिन्हा की अध्यक्षता में** एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश राज्य के 9 जिलों से संबंधित मुख्य अशोधित मामलों पर विचार करने हेतु **27 से 29 जनवरी, 2015** को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य की अध्यक्षता में इलाहाबाद का दौरा करने वाले दल में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :–

1. श्री चंद्र कांत त्यागी, प्रेजेंटिंग अधिकारी
2. श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि),
3. श्री सी. एस. मावड़ी, सहायक रजिस्ट्रार (विधि),
4. श्री राजीव सेठ, माननीय सदस्य के निजी सचिव
5. श्री मनोज नूना, वरिष्ठ निजी सचिव
6. श्री मुकेश कुमार, सहायक
7. श्री भवानी सिंह, एम टी एस,
8. श्री प्रवीण कुमार, एम टी एस

सुनवाई के दौरान दिनांक **27 से 28 जनवरी, 2015** को आयोग कुल 52 याचिकाओं को सुनेगा ये **इलाहाबाद (15 याचिकाएं), प्रतापगढ़ (2 याचिकाएं), चित्रकूट (3 याचिकाएं), फतेहपुर (5 याचिकाएं), कौशांबी (1 याचिका), बांदा (12 याचिकाएं), फैज़ाबाद (5 याचिकाएं), अंबेडकर नगर (4 याचिकाएं) तथा सुल्तानपुर (5 याचिकाएं)** जिलों से संबंधित हैं।

ये याचिकाएं शक्ति के दुरुपयोग; अधिकारियों द्वारा न्यायपूर्ण कार्रवाई करने में असफलता; कैदियों की समस्याएं तथा हिरासतीय मौतें; महिलाओं के प्रति अपराध; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार; कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न; स्वास्थ्य के अधिकार का हनन तथा बंधुआ मजदूरी आदि से संबंधित है। उपरोक्त 52 याचिकाओं में वित्तीय राहत, कारण बताओ नोटिस तथा सीबी–सीआईडी जांच के अनुपालन से संबंधित एक–एक प्रकरण है।

आयोग **दिनांक 29 जनवरी, 2015** को राज्य में कार्यरत् गैर–सरकारी संगठनों/मानव अधिकार निकायों/नागरिक समाज के साथ बैठक करेगा, इसके बाद राज्य सरकार के इलाहाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।

.....